Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

फाइल सं. सी-23/2011-एमप्लीलैड्स (खंड-I)

Dated 27 अगस्त, 2013

सेवा में

1. आयुक्त, कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मैजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय: एमपीलैड्स के अंतर्गत वित्त वर्ष के दौरान संसद सदस्यों की पात्रता

महोदय,

1. एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 2-6 के अनुसार, संसद सदस्य संबंधित जिला प्राधिकारी को वित्त वर्ष के दौरान वार्षिक पात्रता तक कार्यों की अनुशंसा करेगा तथा जिला प्राधिकारी राज्य सरकार की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार पात्र संस्वीकृत कार्यों को निष्पादित करेगा । संसद सदस्य की पात्रता दिशानिर्देशों के पैरा 4.5 में दी गई है ।

2. अतः संसद सदस्य वित्त वर्ष के ठीक शुरू में अपनी वार्षिक पात्रता तक परियोजनाओं की अनुशंसा कर सकता है । जिला प्राधिकारी को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा निधि जारी करने की प्रतीक्षा किए बिना सभी अनुशंसित पात्र परियोजनाओं को स्वीकृत करना होता है । एमपीलैड्स निधि अव्यपगत होती है। निधि की उपलब्धता के बारे में कोई अनिश्चयता नहीं है यह अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरा करने के बाद तदनन्तर जारी की जा सकती है ।

3. जिला प्राधिकारियों को कार्यों की संस्वीकृति पर कार्रवाई करने तथा एमपीलैड्स निधि की वास्तविक उपलब्धता के साथ उन्हें जोड़े बिना संसद सदस्यों की पूरी वार्षिक पात्रता तक कार्यान्वयन करने की सलाह दी जाती है । इससे संस्वीकृतियों में तेजी आएगी तथा किसी निश्चित समय पर कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की संख्या में भी वृद्धि होगी । आगे की किस्तों को जारी करने के लिए पात्रता भी शीघ्र प्राप्त होगी। अतः समग्र रूप से एमपीलैड्स के कार्यान्वयन में तेजी आएगी ।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

Saibaba 27/8/13

(डी. साईबाबा)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. सचिव, नोडल विभाग, एमपीलैड्स से संबंधित, (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।

<u>प्रतिलिपि</u> :-

1. वित्त मंत्रालय
2. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार